राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डी.पी.आई.पी.

(तृतीय तल,बी ब्लाक, योजना भवन सी–स्कीम जयपुर, दुरभाष–2226175 फैक्स.– 5104014)

प. 1(22)ग्रा.वि./डीपीआईपी/99 जयपुर,दिनांक 31.1.2006

परिपत्र

विषयः– NGO के द्वैमासिक बिल के भुगतान बाबत्।

विश्व बैंक के Implementation Review Mission, Nov. 9- 25, 2005 Aide Memoire दिनांक 4.1.2006 के Annex-2 में यह अंकित किया गया है कि वर्तमान में एनजीओ को भुगतान राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा किया जाता है तथा इस प्रकार के सभी भुगतान की कार्यवाही जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के प्रमाणीकरण के आधार पर ही की जाती है। ऐसी स्थिति में एसपीएमयू में कोई विशेष वेल्यू एडीशन नहीं होता है। अतः मिशन ने यह अनुशंषा की है कि एसपीएमयू के द्वारा डीपीएमयू को एनजीओ के भुगतान की प्रकिया हस्तान्तरित (Delegate) की जाये। अतः माह जनवरी 2006 से प्राप्त होने वाले इस प्रकार के सभी बिलों का भुगतान डीपीएमयू स्तर पर ही किया जायेगा।

परियोजना की अवधि में बढोतरी के अनुरूप, एन.जी.ओ के साथ किये गये अनुबन्ध की अवधि को बढाने एवं बढायी गयी अवधि के अनुबन्ध तथा नये अनुबन्ध DPMU स्तर से किये जाने के साथ ही एन.जी.ओ को उनके टास्क बिल का भुगतान जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर से किया जाना हैं।

(1) NGO द्वारा द्वैमासिक बिल, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई कार्यालय में पूर्व में निर्धारित प्रपत्रों एवं चैक लिस्ट को पूर्ण कर प्रस्तुत किया जायेगा। DPMU कार्यालय द्वारा इस बिल का जो भी भुगतान देय बनता हैं, इस राशि का चैक या ड्राफ्ट दस दिवस में NGO के पक्ष में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। भुगतान जारी करते समय अगर कटौतियां की गई है, तो कटौती विवरण पत्र के द्वारा एनजीओ को सूचित किया जायेगा। एनजीओ से भुगतान की रसीद की प्राप्ति डीपीएमयू द्वारा 3 दिवस में सुनिश्चित की जायेगी। अगर एनजीओ को कटौतियों के बारे में आपत्ति है तो वह 10 दिवस में डीपीएमयू को उपरोक्त कटौतियों के विषय में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। डीपीएमयू अगले 5 दिवस में इन आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्, की गई कटौतियों बाबत् निर्णय लेकर एनजीओ को सूचित करेगा। अगर कोई कटौती ऐसी की गई है जिनके बारे में एनजीओ ने उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है तो डीपीएमयू द्वारा उस राशि को एनजीओ को चैक/ डी.डी. द्वारा 3 दिवस में भुगतान कर दिया जायेगा।

यदि इसके बावजूद भी डीपीएमयू द्वारा की गई कटौती के विषय में यदि एनजीओ को आपत्ति रह जाती है तो वह अपनी आपत्ति को अगले 15 दिवस में

कॉर्डिनेटर (कॉर्डिनेशन एवं कनवरजेन्स प्रकोष्ठ) एसपीएमयू–डीपीआईपी को प्रस्तुत करेगा। इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर कॉर्डीनेटर द्वारा एनजीओ/डीपीएमयू को सूचित कर दिया जायेगा। डीपीएमयू स्तर पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) प्रत्येक जिले में कार्य कर रहे NGO के विरूद्व दिनांक 31.12.05 को बकाया रहे अग्रिम की सूची महाप्रबन्धक (वित्त), राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। मुख्यालय से प्रकरण विशेष में अन्यथा निर्देश न हो तो ऐसी बकाया राशि का समायोजन माह जून, 2006 तक के बिलों से समान किस्तो में किया जायेगा।

(3) डीपीएमयू द्वारा प्राप्त एवं भुगतान किये गये मासिक बिलों का विवरण कॉडिनेटर (कॉर्डिनेशन एवं कनवरजेन्स प्रकोष्ठ), एस.पी.एम.यू. को निम्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रेषित किया जायेगा :–

एनजीओ का नाम	बिल अवधि	प्रस्तुत बिल की राशि	बिल प्राप्ती क्र. एवं दिनांक	बिल भुगतान विवरण			रोकी गयी राशि	राशि रोकने का कारण	रोकी गयी राशि जारी करने का दिनांक
				पारित राशि	भुगतान आज्ञा सं. व दिनांक	डीडी/चैक सं. व दि.			

S/d
(अभय कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक,
डीपीआईपी

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक।
6. महाप्रबन्धक (वित्त), डीपीआईपी, जयपुर।
7. कॉर्डिनेटर (कॉर्डिनेशन एवं कनवरजेन्स प्रकोष्ठ) एसपीएमयू, जयपुर।
8. जिला परियोजना प्रबन्धक, डीपीआईपी– बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक।
9. जिला परियोजना समन्वयक, एनजीओ– बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक।
10. लेखा शाखा, डीपीआईपी, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक